

कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी बैठक दिनांक 28.11.2016

शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 28.11.2016 को सांय 4.00 बजे एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक में Sh. Mukesh Kumar Jain द्वारा अनुबंध संख्या 03/2010-11 के अन्तर्गत संवेदक फर्म को आवंटित कार्य "Construction of Daya Anicut, under TAD Panchayat Samity, Kherwara Distt. Udaipur" के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया:-

1. श्री लोकेश तिवाड़ी, संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव (वित्त विभाग)।
3. श्री विनोद शाह, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर।
4. श्री राजेन्द्र कुमार पारीक, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर द्वारा अधिकृत)

विभाग की ओर से अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सलूमबर उपस्थित हुये तथा संवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए।


टी.ए.डी. मद में दया एनीकट में अनुबंध की धारा 23 के अन्तर्गत श्री मुकेश कुमार जैन, संवेदक, निवासी आंतरी, जिला डूंगरपुर द्वारा प्रेषित किये गये क्लेम पर पूर्व में स्टेण्डिंग कमेटी के द्वारा दिनांक 1/11/2011 को संवेदक द्वारा अपना पक्ष रखने के पर्याप्त समय दिये जाने के पश्चात भी उपस्थित नहीं होने से संवेदक का क्लेम कमेटी द्वारा निरस्त किया गया।


संवेदक द्वारा ए.डी.जे. सलूमबर में वाद सं. 45/13 (2/16) वाद दायर किया, जिसका निर्णय ए.डी.जे. सलूमबर ने दिनांक 3/2/2016 को पारित करते हुए यह अंकित किया कि आदेश दिनांक 1/11/2011 खण्डीत किया जाता है। पुनः सुनवाई का उपयुक्त अवसर देकर कोस ऑब्जेक्शन कर निस्तारण किया जावे।


न्यायालय के निर्णय की अनुपालना के तहत उप सचिव एवं प्रा.स. वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर के आदेश सं. F-9 (205) AS / I / Cell / 16 / 6392 dated 16.11.2016 द्वारा 28.11.2016 को सांय 4.00 बजे सचिव, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में संविदा की धारा 23 के अन्तर्गत इम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी द्वारा पुनः सुनवाई हेतु रखी गई, जिसकी सूचना संवेदक को सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, ऋषभदेव द्वारा उन्हे दूरभाष पर, मेसेज द्वारा एवं उनके घर पर नोटिस भिजवाकर तामिल करवाया गया। संवेदक श्री मुकेश कुमार जैन एवं इनका कोई भी प्रतिनिधि मिटींग में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।


अधिशाषी अभियन्ता ने अवगत किया कि संवेदक को पर्याप्त मौका देने पर भी उनके द्वारा पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं होने से यह प्रकट होता है कि संवेदक के पास उसके विरुद्ध की गई अनुबंध के क्लोज 2 की कार्यवाही के विरुद्ध कोई उपयुक्त आधार नहीं है और ना ही कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई कोस ऑब्जेक्शन है, वे सिर्फ उनके विरुद्ध की जा रही वसूली की कार्यवाही को लम्बित रखने के उद्देश्य से कार्यवाही संचालित कर रहे हैं। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखा जावे।


समस्त पहलुओं एवं पूर्व निर्णय दिनांक 01.11.2011 पर पुनः विचार कर पाया कि निर्णय में संवेदक के विरुद्ध अनुबंध के कलाज 2 के तहत क्षतिपूर्ति लगाये जाने के पर्याप्त आधार दिये गये हैं अतः कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व निर्णय दिनांक 01.11.2011 को यथावत रखा जाने का निर्णय लिया गया।


(राजेन्द्र कुमार पारसूक)
अति. मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन सम्भाग,
उदयपुर


(विनोद शाह)
अति. सचिव एवं
मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन राज, जयपुर


(लोकेश तिवारी)
संयुक्त विधि परामर्शी
प्रतिनिधि विधि विभाग


(जंकी हर्सन)
संयुक्त शासन सचिव
प्रतिनिधि वित्त विभाग


(शिखर अग्रवाल)
शासन सचिव
जल संसाधन विभाग
राजस्थान, जयपुर।